

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय बैढन,  
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक- २१/सी.जे.एम./2024

सिंगरौली, दिनांक 12.03.2024

**:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::**

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली (म.प्र.) प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) और 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2024 प्रभावशील दिनांक 04.01.2024 में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ :-

1. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में कॉलम नंबर 10 के नीचे कॉलम नंबर 11 स्थापित किया जाता है जिसमें श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली नाम स्थापित किया जाता है।
2. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 7 के पैरा क्रमांक 1, 2, 3 को विलोपित कर कॉलम नंबर 11 के पैरा क्रमांक 1, 2, 3 के रूप में स्थापित किया जाता है तथा पृथक से पैरा नंबर 4 के रूप में "ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें" स्थापित किया जाता है।
3. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 10 के पैरा क्रमांक 1, 2 को विलोपित कर कॉलम नंबर 7 के पैरा क्रमांक 1, 2 के रूप में स्थापित किया जाता है तथा शेष पैरा क्रमांक 4, 5 को 3, 4 के रूप में क्रमांकित किया जाता है।
4. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 8 के पैरा क्रमांक 3, 4 को विलोपित कर कॉलम नंबर 10 के पैरा क्रमांक 1, 2 के रूप में स्थापित किया जाता है तथा कॉलम नंबर 8 के पैरा क्रमांक 5, 6 को 3, 4 के रूप में क्रमांकित किया जाता है।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म.प्र.)


पृ0क0/ २१/सी0जे0एम0/2024

सिंगरौली, दिनांक- 12.03.2024

- 1- माननीय कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- निष्पादक लिपिक, न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मु0 बैढन, सिंगरौली।
- 3- श्री विष्णुकांत मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
- 4- श्रीमती आयुषी अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
- 5- श्री देवांश अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
- 6- श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
- 7- श्रीमती अदिती तिवारी जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
- 8- पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
- ✓ 9- सिस्टम एनालिस्ट बैढन, जिला सिंगरौली म0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरणों को संबंधित न्यायालय में सूची अनुसार सी.आई.एस. के माध्यम से तत्काल अंतरण करें।
- 10- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन/देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 को सूचनार्थ।

नोट:-

भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2022 के अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के अनुसार स्वापक औषधि अधिनियम की धारा 52क के अंतर्गत थाना गढ़वा जिला सिंगरौली से कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर द्वारा निराकरण किया जावेगा।

  
(के.पी. सिंह) 12/03/24  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिंगरौली मुख्या० बैठन (म०प्र०)